

रादेश पत्रक-ता० से तक
जिला सं० सन् २०.....
रस का प्रकार
सीमाका नोड सं० ५/२०२२-२३

सन् 20.....

स का प्रकार
समाप्ति का दिनांक 4/2022-23

Scanned with CamScanner

कार्यालय अंचल अधिकारी हैदरनगर पलामू।

ज्ञापांक:-

/दिनांक:-

नोटीस

नोटीस बनाम- ~~श्री प्रदीप कुमार (पुत्र) पिता- श्री प्रदीप कुमार~~
~~पुत्र- श्री प्रदीप कुमार पी०- श्री प्रदीप कुमार माता- श्री प्रदीप~~
~~M.No- 6203660/75~~
~~श्री प्रदीप कुमार- श्री प्रदीप कुमार- श्री प्रदीप कुमार- श्री प्रदीप कुमार~~
~~पुत्र- श्री प्रदीप कुमार पी०- श्री प्रदीप कुमार माता- श्री प्रदीप~~
~~पुत्र- श्री प्रदीप कुमार पी०- श्री प्रदीप कुमार माता- श्री प्रदीप~~
~~M.No- 900696434~~

इस नोटीस के द्वारा आप लोगों को सूचित किया जाता है कि सीमांकन वाद सं०-...~~84/2022~~... में आपत्ति आवेदन पत्र दिया गया है अतः आप लोगों को आदेश दिया जाता है कि दिनांक- ~~12.04.2023~~... दिन- ~~12.04.2023~~... समय-...~~11.00~~... अपने आपत्ति के पुष्टि हेतु साक्ष्य के साथ अंचल न्यायालय हैदरनगर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ताकि आगे का कार्रवाई किया जा सकें।

इसे सख्त ताकिद जाने।

~~12/04/2023~~
अंचल अधिकारी,

~~हैदरनगर पलामू~~
~~12-4-2023~~

कार्यालय अंचल अधिकारी हैदरनगर पलामू।

ज्ञापांक:-

/दिनांक:-

नोटीस

नोटीस बनाम-

प्रथम पक्ष

① श्री प्रदीप

इस नोटीस के द्वारा आप लोगों को सूचित किया जाता है कि सीमांकन वाद सं०- 04/100023 में आपत्ति आवेदन पत्र दिया गया है अतः आप लोगों को आदेश दिया जाता है कि दिनांक- 25-10-23 दिन-..... समय-..... अपने आपत्ति के पुष्टि हेतु साक्ष्य के साथ अंचल न्यायालय हैदरनगर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ताकि आगे का कार्रवाई किया जा सकें।

इसे सख्त ताकिद जाने।

Kaly 28/04/23
अंचल अधिकारी,

हैदरनगर, पलामू।

25-10-23

कार्यालय अंचल अधिकारी हैदरनगर पलामू।

ज्ञापांक:-

/दिनांक:-

नोटीस

प्रमाण पत्र

नोटीस बनाम- प्रवीण कुमार (पति) विरुद्ध - प्रीति देवी (पत्नी)
श्याम - कपूर (पति) विरुद्ध - प्रीति देवी (पत्नी)
देवगढ़। M.No- 6203660175
प्रवीण पट्ट - श्याम प्रवीण देवगढ़ विरुद्ध - प्रीति
देवगढ़ विरुद्ध - श्याम प्रवीण देवगढ़ विरुद्ध - प्रीति
देवगढ़ विरुद्ध - श्याम प्रवीण देवगढ़ विरुद्ध - प्रीति
देवगढ़। M.No- 96696434

इस नोटीस के द्वारा आप लोगों को सूचित किया जाता है कि
सीमांकन वाद सं०-4/2022-23 में आपत्ति आवेदन पत्र दिया गया है
अतः आप लोगों को आदेश दिया जाता है कि दिनांक-12/5/2023 दिन-.....
समय-..... अपने आपत्ति के पुष्टि हेतु साक्ष्य के साथ अंचल न्यायालय हैदरनगर में
उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ताकि आगे का कार्रवाई किया जा सके।

इसे सख्त ताकिद जाने।

12/5/2023
अंचल अधिकारी,
हैदरनगर, पलामू।
8/5/2023

सिद्धांत

सेवा में श्रीमान् अंचल अधिकारी
हैदराबाद, पन्नाम् ।

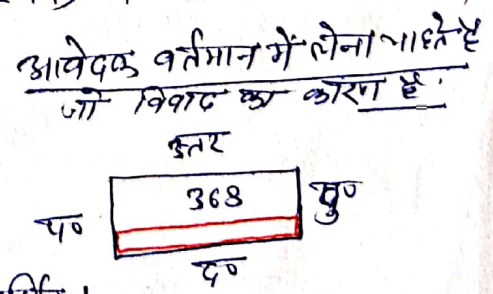
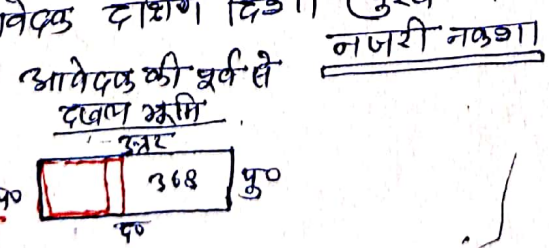
विषय :- मापी कार्य सम्पन्न नहीं होने के संबंध में प्रतिवेदन ।
प्रसंग :- सीमांकन वाद सं० - 4/2021-23 के आलोक में ।

महोदय,
उपरोक्त विषय के संबंध में सादर प्रतिवेदित करना है कि ग्राम-
ककराशुर्द के आवेदक - श्री प्रदीप पासवान पिता श्री लक्ष्मदेव पासवान के
सीमांकन वाद सं० - 4/2021-23 के आलोक में खाना सं० पुराना/नया -
16/21 खेसरा सं० पुराना/नया - 113/368 रकबा 3 (तीन) बीसमील
भूमि का सीमांकन करने श्रीमान् के आदेश के पश्चात् दिनांक 4.2.23
को स्थल पर उपस्थित स्थानीय ग्रामिणों की
उपस्थिति में चन्द्रमुस्तकीली से सीमांकन करना प्रारम्भ किया । सीमांकन
उपरोक्त खेसरा सं० 368 के सम्पूर्ण रकबा का किर्च । लेकिन
आवेदक की भूमि निकालने के लिए आवेदक से राजस्व कागजात
की मांग किमती आवेदक के द्वारा विक्रय पत्र दिखाया जिसमें दर्ज
चौदपदी के उत्तर में - मां० खुलेमान, दक्षिण - परती कदीम पुरख -
परती कदीम तथा पश्चिम - मानदेव राम हैं। यह चौदपदी हाल सर्वे
के खेसरा सं० 368 के सम्पूर्ण प्लॉट का चौदपदी है जिससे यह
ज्ञात नहीं होता है कि आवेदक की भूमि उक्त खेसरा में किस स्थान पर
है। आवेदक के विपक्षी के द्वारा भी एक विक्रय पत्र दिखाया गया
जिसमें दर्ज चौदपदी के उत्तर में - आदजाही बेगम, दक्षिण - परती कदीम
पुरख - परती कदीम तथा पश्चिम में - मानदेव राम हैं जो पुराना खेसरा
सं० 113 का सम्पूर्ण प्लॉट का चौदपदी है।
आवेदक की भूमि का मापी नहीं होने के

निम्नलिखित कारण हैं :-

- (1) आवेदक के विक्रय पत्र की चौदपदी स्पष्ट नहीं है।
- (2) दोनों विक्रय पत्र की चौदपदी सम्पूर्ण खेसरा का है।
- (3) हाल सर्वे में आवेदक के खर्च भा बिदेस के नाम से पंजीयन मांग
नहीं माल रहा है। आवेदक का विक्रय पत्र विपक्षी के विक्रय पत्र के बाद की है।
- (4) स्थानीय ग्रामिणों के कथनानुसार आवेदक की भूमि पूर्व से खेसरा
सं० 368 के पश्चिम दिशा में (उत्तर-से-दक्षिण) दखल है। लेकिन वर्तमान
में आवेदक दक्षिण दिशा (पुरख-से-पश्चिम) में भूमि लेना चाहते हैं।

महोदय,
मामला समस्त
न्यायालय से
संबंधित है।
महोदय को सूचना दी



संलग्न
1. उपाक्षित ग्रामिणों का हस्ताक्षर प्रपत्र
की मूल प्रति।

अतः प्रतिवेदन सादर समर्पित।

Signature
07-02-23
हैदराबाद

उपस्थित व्यक्ति (स्थानीय) का हस्ताक्षर एवं अंगुली का निशान

- पंचायत समिति सदस्य
ग्राम पंचायत-परता-01
प्रखण्ड-हैदरनगर, पलामू